बिहार सरकार
वित्त (अंकेक्षण) विभाग
भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर

अंकेक्षण प्रतिवेदन सं0 – 115/09–10

1. परिचयात्मक –

(क) अंकेक्षित लेखा का नाम – किऊल बडुआ चान्दन कमाण्ड क्षेत्र विकास अभिकरण (के0 बी0 सी0 काडा) एवं अधीनस्थ कार्यालय – भू गर्भ जल विकास, रीग इकाई, भागलपुर, चांदन परियोजना प्रमंडल,बांका,बडुआ योजना प्रमंडल, तारापुर, लोअर किऊल परियोजना प्रमंडल, लखीसराय।

(ख) अंकेक्षणान्तर्गत लेखावधि – वर्ष 98–99 से 04–05

(ग) प्रशासी विभाग का नाम – जल संसाधन विभाग, बिहार पटना।

(ध) अंकेक्षण अवधि के नियंत्री पदाधिकारी का नाम,पदनाम और कार्यालय –

1. श्री फूल सिंह, आयुक्त भागलपुर 1.4.98 – 24.5.98
2. श्री हेम चन्द सिरोही, आयुक्त भागलपुर 25.9.98 – 10.11.99
3. श्री डा0 एम0 ए0 इब्राहिमी, आयुक्त भागलपुर 11.11.99 – 10.6.2000
4. श्री मती शीला किस्कू रपाज, आयुक्त भागलपुर 11.6.2000 – 28.7.2000
5. डा0 एम0 ए0 इब्राहिमी, आयुक्त भागलपुर 28.7.2000 – 2.10.01
6. श्री मनोरंजन प्र0 सिन्हा, आयुक्त भागलपुर 3.10.01 – 28.10.01
7. डा0 एम0 ए0 इब्राहिमी , आयुक्त भागलपुर 29.10.01 – 6.11.01
8. श्री मती दीपिका पड़डा, आयुक्त भागलपुर 7.11.01 – 2.7.03
9. श्री मती एस0 सिद्धु , आयुक्त भागलपुर 2.7.03 – 30.7.03
10. श्री अशोक कुमार चौहान, आयुक्त भागलपुर 31.7.03 – 7.8.04

11. श्री अजय नायक, आयुक्त भागलपुर
8.8.04 – 31.3.05

(ड़) अंकेक्षणावधि में लेखा के प्रभारी पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों का नाम ,पदनाम तथा कार्यकाल –

1. श्री प्रेम चन्द वर्मा, सचिव
1.4.98 – 9.7.98
2. श्री शिव नारायण ओझा,सचिव
10.7.98 – 10.12.2000
3. श्री प्रभात कुमार ,सचिव
11.12.2000 – 5.1.01
4. श्री अवध किशोर सिंह , सचिव
6.1.01 – 31.3.02
5. श्री विष्णु देव प्र0 सिंह ,सचिव
5.4.02 – 19.11.03
6. श्री नथुनी राम, सचिव
10.12.03 – 19.12.03
7. श्री दिनेश कुमार वर्मा,सचिव
22.12.03 – 26.1.05
8. श्री राजेन्द्र प्रसाद, सचिव
1.2.05 – 31.3.05
9. श्री उमेश प्र0 सिन्हा, नाजिर
1.4.98 – 27.8.98
10. श्री माणिक कुमार दास, नाजिर
सितम्बर' 98–25.4.01
11. मु0 सैयद हसन इमाम, नाजिर
27.4.01 – 31.3.05
12. श्री उमेश प्र0 सिन्हा, लेखापाल
1.4.98 – अगस्त' 98
13. श्री राजेन्द्र प्रसाद, लेखापाल
सितम्बर' 98– 30.4.99
14. श्री बरसा हेम्ब्रम, लेखापाल
1.5.99 – 31.5.01
15. श्री ब्रजनन्दन चौधरी, लेखापाल
1.6.01 – 9.8.03
16. श्री अरूण कुमार सिन्हा, लेखापाल
29.8.03 – 31.3.04
17. श्री प्रवीर कुमार , लेखापाल
1.4.04 – 31.3.05

(च) अंकेक्षण में सहयोग देने वाले पदाधिकारी एवं कर्मचारी का नाम एवं पदनाम –

1. मु0 सैयद हसन इमाम,नाजिर

2. श्री प्रवीर कुमार,लेखापाल

(छ) अंकेक्षकों / वरीय अंकेक्षकों के नाम –	1. श्री अवधेश कुमार वर्मा, वरीय अंकेक्षक–2
	2. श्री विजय नारायण झा, वरीय अंकेक्षक–2
	3. श्री संजय कुमार, वरीय अंकेक्षक–2
	4. श्री राजीव प्रसाद राय, वरीय अंकेक्षक–2
	5. श्री महेश मिश्र, वरीय अंकेक्षक–2
	6. श्री अमर नाथ भगत, वरीय अंकेक्षक–2
(ज) अंकेक्षण प्रारंभण तिथि –	दि0 17.5.08 / 11.12.08
(झ) अंकेक्षण समापन तिथि –	दि0 16.1.2010
(ञ) अंकेक्षण में व्यतीत कार्य दिवस –	249 कार्य दिवस
(ट) अंकेक्षण में प्रस्तुत / अप्रस्तुत अभिलेख की सूची–	इस प्रतिवेदन के परिशिष्ट ''क'' पर दिया गया है।

(ठ) अंकेक्षण का क्षेत्र –

वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार, पटना के ज्ञापांक 3286 दि0 15.9.60 में निहित अनुदेशों के परिप्रेक्ष्य में काडा मुख्यालय कार्यालय एवं इसके अधीनस्थ प्रमंडलीय कार्यालयों के लेखा का सामान्य अंकेक्षण उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर किया गया। वित्त (अंकेक्षण) विभाग के अंकेक्षकों द्वारा किया जाने वाला इस कार्यालय का यह प्रथम अंकेक्षण था।

बिहार सरकार, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता (कृषि) विभाग का संकल्प ज्ञाप सं0 क0 यो0 / विविध – 07/75 –384 आ0 कृ0 उ0 आ0 /पटना दिनांक 16.5.75 के द्वारा राज्य सरकार ने बिहार कृषक एवं ग्रामीण विकास अभिकरण वित्तीय अध्यादेश 1975 के अध्याय–2 की धारा –3(1) के अनुसार क्यूल बडुआ चान्दन कमांड क्षेत्र विकास अभिकरण की स्थापना दि0 1.5.75 से करने का निर्णय किया।

अभिकरण का मुख्यालय भागलपुर प्रमंडलीय मुख्यालय रखा गया। भागलपुर प्रमंडल के आयुक्त इसके क्षेत्रीय विकास आयुक्त बनाये गये एवं तत्कालीन भागलपुर एवं मुंगेर जिला के भू–भाग इसके कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत रखे गये।

इस एजेंसी की स्थापना का उद्देश्य राज्य के वृहद सिंचाई परियोजनाओं के कमांड क्षेत्र में सृजित सिंचाई क्षमता का विवके पूर्ण उपयोग कर कृषि उत्पादकता में अधिकतम् वृद्धि लाना था।

उपरोक्त उद्देश्य की पूर्ति हेतु एजेंसी द्वारा – (क) सिंचाई नाली का निर्माण (ख) क्षेत्र जल विकास प्रणाली सहित जल विकास सुविधा का उपबन्ध (ग) भूमि समतलीकरण एवं भूमि विकास (घ) मिट्टी संरक्षण एवं जल प्रबंधन (च) फसल दांया और फार्म योजना बनाना (छ) मिट्टी जाँच की सुविधा सहित क्षेत्र शोध एवं प्रयोग केन्द्रों की स्थापना (ज) ग्राम विधुतीकरण (झ) ग्रामीण सड़कों का निर्माण (ञ) किसान, शिल्पियों आदि का प्रशिक्षण (ट) पशुपालन, मत्स्य पालन एवं वन लगाने की योजना को लागू करना जैसे कार्यो को किया जाना निश्चित किया गया था।

इस कार्यालय के अधीन अन्य चार प्रमंडलीय कार्यालय भी प्रारंभ किये गये– भू–गर्भ जल विकास रीग इकाई, भागलपुर,चांदन परियोजना प्रमंडल, बांका ,बडुआ परियोजना प्रमंडल , तारापुर एवं लोअर किऊल परियोजना प्रमंडल, लखीसराय।

इस कार्यालय के आय का श्रोत भारत सरकार एवं बिहार सरकार द्वारा सहायता अनुदान के रूप में प्राप्त राशि थी। भारत सरकार द्वारा प्रदत राशि भी बिहार सरकार के माध्यम से ही एजेंसी को प्राप्त होता था।

कोषागार से निकासी एवं उसमें जमा राशि को कोषागार के अभिलेखों से शत् प्रतिशत सत्यापन किया गया और सही पाया गया।

महालेखाकार द्वारा किये गए अंकेक्षण से सम्बधित कोई भी प्रतिवेदन अंकेक्षण के समक्ष प्रस्तुत नही किया जा सका। फलतः अनुपालन देखने की आवश्यकता नही पड़ी।

लेखा संधारण में पायी गयी सामान्य त्रुटियों का उल्लेख आगे की कंडिकाओं में किया गया है।

(ङ) वित्तीय परिशंसा –

इस प्रतिवेदन के परिशिष्ट ''ख'' पर वर्ष 98–99 से 04–05 की अवधि में प्राप्त सहायता अनुदान की राशि का विवरण दिया गया है। सहायता अनुदान से सम्बन्धित विपत्र कोषगार से पारित कराकर पी. एल. लेखा में रखा जात था, पुनः आवश्यकतानुसार राशि की निकासी की जाती थी। इस विवरण के अवलोकन से इस कार्यालय के वित्तीय स्थिति की जानकारी हो सकती है। इस कार्यालय को वर्ष 01–02,02–03 एवं 03–04 में कार्य मद में अनुदान प्राप्ति शून्य रही। अन्य वर्षो में प्रशासन मद के साथ कार्यमद में भी अनुदान उपलब्ध हुआ था। उक्त परिशिष्ट ''ख'' के स्तम्भ –12 में कार्यमद में कोषागार से निकाली गयी (पी. एल. लेखा से) राशि का विवरण दिया गया है। इसके अवलोकन से पता चलेगा कि उपलब्ध राशि के अनुसार कार्यमद पर व्यय नही किया जा सका। अंकेक्षणाधीन अवधि के अंत में कार्य

मद में दिनांक 31.3.05 को पी. एल. खाता में रू0 3,22,66,912.90 पै0 (बैंक में पड़ी राशि को छोड़कर) अव्यवहृत पड़ी हुई थी। कार्य मद में इस प्रकार अव्यवहृत पड़ी बड़ी राशि की स्थिति से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि योजना कार्य में राशि के उपयोग का समुचित प्रयास नही हुआ था या तो उपलब्ध निधि के अनुसार योजना नही बनायी गयी थी या योजना के निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति नही हुई थी। विभागीय कोष में राशि का भारी जमाव बिहार कोषागार संहिता भाग –1 के नियम 300 एवं बिहार बजट मैनुअल को नियम 107 (03) के भी विपरीत हैं।

इस प्रतिवेदन के परिशिष्ट ''ग'' पर प्रमंडलवार, प्रशासन एवं कार्यमद में आवंटित राशि का विवरण दिया गया है। प्रमंडलो का व्यय उन्हे आवंटित राशि के अनुरूप ही रहा।

<u>भौतिक सत्यापन :–</u>

वित्त (अंकेक्षण) विभागीय पत्रांक 503 दिनांक 29.1.76 के अनुसार अंकेक्षण प्रारंभण तिथि दि0 17.5.08 को सामान्य रोकड़ पुस्त के संवरण शेष का भौतिक सत्यापन नही कराया जा सका।

इस प्रतिवेदन के परिशिष्ट ''घ'' पर अंकेक्षणान्तर्गत लेखावधि के सामान्य रोकड़ पुस्त के प्रारंभण रोकड़ एवं संवरण रोकड़ का वार्षिक व्योरा दिया गया है। इस परिशिष्ट के क्रमांक–6 पर भारतीय स्टेट बैंक भागलपुर के चालू खाता सं0 ए. जी. एल. 26 में रू0 98,420. 60 पै0 लगातार वर्ष 98–99 से 04–05 की अवधि में पड़ा रहना दिखाया गया है। सामान्य रोकड़ पुस्त के अवलोकन से पता चला कि यह राशि अद्यतन् भी दिखायी जा रही है। इस सम्बन्ध में पृच्छा किये जाने पर अंकेक्षण को बताया गया कि चालू खाते में उपलब्ध राशि शून्य है। इससे सम्बन्धित स्टेट बैंक के शाखा प्रबन्धक के पत्रा सं0 बी0 एम0/जेन /89–90/30 दि0 11.1.90 अंकेक्षण के समक्ष प्रस्तुत किया गया ,जिसमें बैंक द्वारा भूल से रू0 1,09,468.84 पै0 चालू खाता में सूद के रूप में प्रविष्टि एवं पुनः बै।क द्वारा उतनी राशि चालू खाते से डेविट किये जाने का उल्लेख है। यह पत्र दि0 16.1.90 को इस कार्यालय को प्राप्त हुआ, जिसमें तत्कालीन पदाधिकारी द्वारा लेखा पदाधिकारी को तदनुसार लेखा में सुधार हेतु निर्देशित किया गया है। परंतु तत्कालीन एवं अब तक के लेखापालों एवं रोकड़ पालों द्वारा इस पर कुछ भी ध्यान नही दिया गया एवं लगभग बीस वर्षो से रू0 98,420.60 पै0 चालू खाता में होना दिखाया जाता रहा है। वर्त्तमान के प्रभारी पदाधिकारी से बैंक के पत्र के आलोक में वस्तु स्थिति की जानकारी कर लेखाभिलेखों में सुधार किये जाने की अपेक्षा की जाती है। पुनः क्रमांक 14 पर रू0 24,759.79 पै0 को पारित अभिश्रव के रूप में दिखाया गया है। यह राशि भी वर्ष 98.99 से 04–05 एवं अद्यत्न भी दिखायी जा रही है। इन पारित अभिश्रवों का यथा शीध्र समायोजन किया जाना अपेक्षित है।

इस प्रतिवेदन के परिशिष्ट ''च'' पर इस कार्यालय के स्वीकृत /कार्यरत् एवं रिक्त बल का व्योरा दिया गया है। इसके अवलोकन से विदित होगा कि इस कार्यालय में कार्यरत् कर्मचारियों की संख्या स्वीकृत बल के अन्तर्गत रही है। वर्त्तमान में अनेको पद रिक्त है।

भाग – 1

(2) रू0 24,240.00 सी. पी. एफ. रवाता में अधिक जमा राशि सहित अर्जित ब्याज की राशि वसूली योग्य :–

चांदन परियोजना प्रमंडल, बांका के सी. पी. एफ. जमा से सम्बन्धित अभिश्रवों की जाँच में पाया गया कि अभिश्रव सं0 17 बी. 103.04 द्वारा क्रमांक– 6 पर श्री अरूण कुमार सिन्हा, लिपिक के नाम सी. पी. एफ. खाता में रू0 54,982.00 जमा किया पाया गया। दर्शित जमा राशि माह अगस्त ' 02 से अप्रील' 03 तक में सी. पी. एफ. कटौती ,नियोक्ता अंशदान, ऋण वसूली से सम्बन्धित था। सी. पी. एफ.पंजी वेतन भुगतान पंजी की जाँच में पाया गया कि माह अगस्त '02 से अप्रील '03 की अवधि में श्री अरूण कुमार सिन्हा, लिपिक के वेतन विपत्रों से सी. पी. एफ खाता में जमा योग्य राशि –

अंशदाता अंशदान – 7,011.00
नियोक्ता अंशदान – 7,771.00
ऋण वसूली – 15,960.00

कुल रू0 – **30,742.00** की कटौती की गयी थी। जबकि सी. पी. एफ. पंजी के योग संतुलन में भूल हो जाने के कारण श्री सिन्हा के सी. पी. एफ. खाता में जमा योग्य राशि रू0 30742=00 की जगह रू0 54982=00 जमा किया हुआ पाया गया।

इस प्रकार रू0 24,240.00 (54,982.00 – 30,742.00=24,240.00) श्री सिन्हा के खाते में अधिक जमा हो गया। फलतः अधिक दर्शीत जमा की राशि रू0 24240=00 एवं इस पर अर्जित ब्याज की राशि सहित संवंधित व्यक्ति से वसूली योग्य है।

अतः अधिक दर्शीत जमा की राशि, अर्जित ब्याज सहित संबंधित व्यक्ति से वसूल कर जमा करायी जाए एवं फलाफल सं वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार , पटना को सूचित किया जाय।

(3) रू0 8,071.00 आयकर में कम कटौती , के कारण राजस्व की क्षति :–

काडा मुख्यालय कार्यालय के वर्ष 98–99 से सम्बन्धित राजपत्रित अधिकारियों के वेतन भुगतान से सम्बन्धित विपत्रों के जाँच क्रम में पाया गया कि श्री अर्जुन प्रसाद मंडल, कार्यपालक अभियंता ,भु–गर्भ जल विकास प्रमंडल, रिग इकाई, काडा, भागलपुर के माह फरवरी ' 98 के वेतन अभिश्रव सं0 219/28.11.98 से आय कर की रू0 3600.00 की कटौती हुई थी। वेतन विपत्र के साथ संलग्न वर्ष 97–98 के आयकर अनुसूचि,वेतन विवरणी एवं अन्य कागजातों की जाँच में पाया गया कि निम्न त्रुटियों के कारण आयकर की देय राशि से आयकर की कम कटौती हुई थी ।

(i) आयकर अनुसूचि के क्रमांक– 5 पर रू0 10,000/– के एल. आई. सी. प्रीमियम को धारा 10 सी सी. सी का हवाला देकर सकल आय से घटा दिया गया था, जिससे कर योग्य आय कम हो गया था। जबकि आयकर अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नही था। उक्त रूपैये 10000/– के एल आई सी. प्रीमियम की गणना धारा 88 के अन्तर्गत अंशदान एवं अदायगियों

के साथ की जानी चाहिए थी एवं आयकर गणना के पश्चात् इनके कुल योग अधिकतम् रू0 60000/— का 20 प्रतिशत आयकर से घटना चाहिए था।

(ii) वेतन श्रोत से आय एवं कटौतियों की विवरणी से सम्बन्धित प्रपत्र में जनवरी ' 98 एवं फरवरी ' 98 का वेतन नही जोड़ा गया था जबकि इन्हें जनवरी 98 का वेतन अभिश्रव सं0 218 दि0 28.11.98 द्वारा प्राप्त था। फरवरी '98 के वेतन विपत्र के साथ आयकर अनुसूचि ही संलग्न था। इन दोनों माहों में इन्हे सकल वेतन रू0 13007.50+13007.50 = 26015.00 प्राप्त हुआ था। इस प्रकार उक्त दो माहों का वेतन छोड़ देने के कारण कर योग्य आय कम हो गया था। फलतः आयकर की गणना कम हो गयी थी।

वेतन श्रोत से आय में माह जनवरी '98 एवं फरवरी '98 का वेतन जोड़ने पर एवं रूपैये 10000/— की राशि की गणना सही जगह पर करने पर श्री मंडल कार्यपालक अभियंता का देय आयकर निम्न प्रकार होता है —

(क) सकल आय — 1. आयकर अनुसूचि में दर्ज		— 1,62,800.00	
2. जनवरी '98 एवं फरवरी ' 98 का वेतन (13007.50+13007.50)		— 26,015.00	1,88,815.00
(ख) मकान भत्ता में दावा किया गया छूट (आय कर अनुसूचि में दिए प्रमाण के अनुसार)		(—) 6,580.00	
(ग) मानक कटौती		(—) 20,000.00	
(ध) कर योग्य आय		**1,62,235.00**	

(ड़) आय कर

रू0 40000/ — तक	— 40000.00		— शून्य	
रू0 60000/ — तक	— 20000.00	—10%	— 2000.00	
रू0 150000/— तक	— 90000.00	— 20%	— 18000.00	**23,671.00**
रू0 162235/ — तक	— 12235.00	— 30%	— 3671.00	
	162235.00		**23671.00**	

(च) अंशदान एवं अदायगियों का योग

(i) संलग्न आयकर अनुसूचि के अनुसार	— 58230.80
(ii) एल. आई. सी. प्रीमियम जिसे यहाँ नही जोड़कर सकल आय से घाट दिया गया था।	— 10,000.00
	68,230.80
छूट अधिकतम् 60000/— का 20%	— 12,000.00
(छ) देय आयकर — 23671.00—12000.00	— 11,671.00
(ज) चुकाया गया आयकर	— 3,600.00
(झ) कम चुकाया गया आयकर	— रू0 8071.00

इस प्रकार देय आयकर राशि से कम चुकाए गये आयकर की क्षति राशि रू0 8071.00 की सम्बन्धित दोषी व्यक्ति से कर आयकर शीर्ष में जमा किया जाय एवं इसकी सूचना वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार ,पटना को भी दी जाय।

(4) रू0 7445.10 पै0 असमायोजित अग्रिम :–

चांदन परियोजना प्रमंडल, बांका के वर्ष 98–99 से 04–05 की अवधि में योजना कार्य हेतु दिये गए अग्रिम एवं इसके समायोजना की जाँच में पाया गया कि दि0 1.4.98 को मु0 शहाबुद्दीन , सहायक अभियंता रजौन के नाम पर रू0 8445.10 पै0 अग्रिम के रूप में समायोजन हेतु लम्बित था। स्थानान्तरित हो जाने के कारण मु0 शहाबुद्दीन ने रू0 8445.10 पै0 श्री कृष्ण कुमार सिंह,कृषि पर्यवेक्षक को प्रभार में दिसम्बर '98 में दे दिया। श्री कृष्ण कुमार सिंह,कृषि पर्यवेक्षक द्वारा उक्त राशि का न तो अभिश्रव समायोजन हेतु प्रस्तुत किया गया और न नगद वापस किया गया। श्री सिंह स्थानान्तरित होकर अपने पैतृक विभाग (कृषि) में लौट गए। परन्तु रू0 8445.10 पै0 उनके पास समायोजन हेतु लम्बित रह गया।

इस सम्बन्ध में किए गये आपत्ति के अनुपालन में रू0 1000.00 की वसूली कर समायोजन की बात कही गयी। इस समायोजन का सत्यापन सम्बन्धित अभिलेखों से किया गया।

इस प्रकार रू0 8445.10 – 1000.00 =7445.10 पै0 अंकेक्षण सम्माप्ति तक श्री सिंह के पास समायोजन हेतु लम्बित है। अतः श्री सिंह से रू0 7445.10 पै0 की योजना–पूर्ण करा कर अग्रिम का समायोजन किया जाय अन्यथा वसूल कर आंकेक्षण का समायोजित किया जाय एवं इसकी सूचना वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार ,पटना को भी दी जाय।

(5) रू0 4000.00 सी. पी. एफ. खाता में अधिक जमा राशि एवं उस पर अर्जित ब्याज की राशि वसूली योग्य :–

चांदन परियोजन प्रमंडल,बांका के वर्ष 02–03 के अभिश्रवों से सी. पी. एफ. पंजी के सत्यापन क्रम में पाया गया कि अभिश्रव सं0 67/02–03 के क्रमांक –4 पर मु. खलील, जीप चालक के नाम पर रू0 26,240.00 सी. पी. एफ. खाता में जमा किया गया था। यह राशि माह जनवरी '02 से जुलाई '02 तक सी. पी. एफ अंशदान एवं ऋण वसूली से सम्बन्धित था। जिसकी निकासी वेतन विपत्र सं0 127/02–03 द्वारा की गयी थी। वेतन भुगतान पंजी की जाँच में पाया गया कि माह जनवरी '02 से अप्रील '02 में कोई ऋण वसूली नही हुई थी। जबकि रू0 1000/– प्रतिमाह ऋण वसूली सी. पी. एफ. पंजी में होना दिखाना गया था। इस प्रकार 4X1000= 4000.00 रूपैया मु0 खलील के सी. पी. एफ. खाते में अधिक जमा किया पाया गया। फलतः दर्शीत अधिक जमा की राशि अर्जित ब्याज सहित संबंधित व्यक्ति से वसूली योग्य है।

अतः संबंधित व्यक्ति से एक मुश्त रू0 4000.00 एवं अर्जित ब्याज की वसूली कर इसकी सूचना वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार,पटना को भी दी जाय।

(6) रू0 1,00,838.54 पै0 वाहन ईंधन पर किया गया व्यय आपत्ति अन्तर्गत :–

काडा मुख्यालय से सम्बन्धित गाड़ियों बी– आर 10 सी – 0011 (एम्बेसेडर कार) एव बी. आर. जे. 5550(जीप) की लॉग बुक अंकेक्षण के समक्ष उपस्थापित नही किया जा सका। फलतः इन गाड़ियों के परिचालन हेतु क्रय किये गये रू0 1,00,838.54 पै0 के पेट्रोल, मोबिल आदि के क्रय की औचित्यता की जाँच नही की जा सकी। इस प्रतिवेदन के परिशिष्ट ''छ'' पर व्यय का विवरण दिया गया है। सम्बन्धित गाड़ियों का लॉग बुक प्रशासी विभाग उपलब्ध

कराकर व्यय की औचित्यता की जाँच अपने स्तर से करा ली जाय। तथा अनियमितता पाये जाने पर उचित कारवाई की जाय तथा प्रतिफल से वित्त (अंकेक्षण) विभाग बिहार, पटना को अवगत कराया जाय तब तक के लिए रू0 1,00,838.54 पै0 के व्यय को आपत्ति अन्तर्गत रखा जाता है।

(7) रू0 20,400.60 पै0 मूल्य के कम्प्यूटर पार्ट्स का क्रय अनियमित एवं आपत्ति अन्तर्गत :–

काडा मुख्यालय के वर्ष 98–99 एवं 99–2000 से सम्बन्धित अभिश्रवों की जाँच में पाया गया कि रू0 20,400.60 पै0 मूल्य के कम्प्यूटर सामानों का क्रय किया गया था, जिसका व्योरा निम्न प्रकार है–

अभिश्रव सं0 एवं व्यय तिथि	दुकान का नाम पता	बिल सं0 तिथि	समग्री का व्योरा	भुगतित राशि
321 / 98–99 11.1.99	मे. एलाइड ऑफिसिर लोहा पट्टी, भागलपुर	x	यू.पी. एस.	9221.00
322 / 98–99 11.1.99	तदैव	x	डीजेरीफिल	1280.00
352 / 99–2000 23.3.2000	मे. फ्रंट लाईन ऑटोमेसन कोतवाली चौक, भागलपुर	4 / 15.10.99	मोडेम माइक्रोनेट	3000.00
x / 99–2000 23.3.2000	तदैव	7 / 11.11.99	कम्प्यूटर हार्ड डिस्क	6000.00
394 / 99–2000 10.3.2000	एस. आर. इन्टर प्राइलजेज, भागलपुर	X / 4.10.2000	कम्प्यूटर डिस्क जेट	899.60

योग – 20,400.60

पी एण्ड टी स्टॉक पंजी के अनुसार इस कार्यालय में सर्व प्रथम दि0 18.10. 2002 को कम्प्यूटर (मोडेम सहित) का क्रय किया गया था। कम्प्यूटर क्रय के पूर्व कम्प्यूटर से सम्बन्धित सामग्री के क्रय का कोई औचित्य सिद्ध नही होता है।

इस सम्बन्ध में की गयी आपत्ति के अनुपालन में अंकेक्षण के समक्ष कम्प्यूटर सामग्री क्रयादेश से सम्बधित संचिकाएँ प्रस्तुत की गयी। इसके अवलोकन एवं अध्ययन से पता चला कि आयुक्त, भागलपुर के कार्यालय में स्थित कम्प्यूटर के लिए सामग्री का क्रय किया गया था।

आयुक्त कार्यालय के कम्प्यूटर के लिए काडा के कोष से कम्प्यूटर सामग्री का क्रय किया जाना युक्ति संगत नही है व्यय अनियमित है। अंकेक्षण का सुझाव है कि आयुक्त कार्यालय,से रू0 20,400.60 पै0 काडा के कोष में वापस किया जाय तथा फलाफल से वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार, पटना को अवगत कराया जाय तब तक के लिए रू0 20,400.60 पै0 के व्यय को आपत्ति अन्तर्गत रखा जाता है।

(8) रू0 7,892.30 पै0 का मान्य सीमा से अधिक सामाचार पत्र पत्रिकाओं का क्रय , व्यय आपत्ति अन्तर्गत :–

काडा मुख्यालय के वर्ष 98–99 से 04–05 से सम्बन्धित आकस्मिकता अभिश्रवों की जाँच में पाया गया कि काडा, अध्यक्ष के लिए समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं का क्रय किया गया था।

वित्त विभाग के परिपत्र सं0 6658 दिनांक स04.06.075 के द्वारा मितव्ययिता के उद्‌देशय से पदाधिकारियों कार्यालयों (जन सम्पर्क विभाग को छोड़कर) हेतु समाचार पत्रों पत्रिकाओं आदि का क्रय सरकारी खर्च पर करने पर रोक लगा दी गयी थी। पुनः वित्त विभाग के परिपत्र सं0 9345 दि0 4.7.78 के द्वारा कुछ उच्च पदस्थ पदाधिकारियों को दैनिक समाचार पत्र खरीदने की सीमित छूट दी गयी थी। जिसमें प्रमंडलीय आयुक्त को चार एवं विभागाध्यक्ष को दो समाचार पत्रों की सरकारी खर्च पर आपूर्त्ति की जा सकती थी। काडा के अध्यक्ष का पद विभागीय प्रमुख का माना जा सकता है। अतएव सरकारी खर्च पर अधिक से अधिक दो दैनिक समाचार पत्रों का क्रय किया जाना ही मान्य था। किन्तु वर्ष 98–99 से 04–05 के अभिश्रवों की जाँच में पाया गया किइस कार्यालय द्वारा अध्यक्ष के लिए दो से अधिक दैनिक समाचार पत्रों के अतिरिक्त साप्ताहिक ,पाक्षिक एवं मासिक पत्र भी खरीदे गए थे। खरीदे गए, खरीदने के लिए सक्षम एवं मान्य सीमा से अधिक क्रीत समाचार पत्रों ,पत्रिकाओं का व्योरा इस प्रतिवेदन के परिशिष्ट ''ज'' पर दिया गया है।

परिशिष्ट ''ज'' पर दिये गए व्योरे के अनुसार मान्य सीमा से कुल रू0 7,892.30 पै0 के अधिक समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं का क्रय वित्तीय वर्ष 98–99 से 04–05 की अवधि में किया गया था। वित्त विभागीय परिपत्र के आलोक में उचित एवं कारगर कार्रवाई की अपेक्षा की जाती है। की गयी कार्रवाई से वित्त (अंकेक्षण) विभाग को अवगत कराया जाय। तब तक के लिए रू0 7,892.30 पै0 के व्यय को आपत्ति अन्तर्गत रखा जाता है।

(9) रू0 8,986.00 प्रखंड विकास पदाधिकारी, सुलतानगंज को दी गयी राशि का उपोगिता प्रमाण पत्र अप्राप्त, व्यय आपत्ति अन्तर्गत :–

काडा मुख्यालय के वर्ष 99–2000 से सम्बन्धित अभिश्रवों की जाँच में पाया गया कि प्रखंड विकास पदाधिकारी, सुलतानगंज को अभिश्रव सं0 175 दि0 16.8.99 द्वारा श्रवणी मेला में बाल श्रमिक कल्याण एवं महिला कल्याण शिविर लगाये हेतु रू0 8,986.00 उपलब्ध कराया गया था। परंतु इस राशि के व्यय से सम्बन्धित अभिश्रव अथवा उपयोगिता प्रमाण पत्र अंकेक्षण के समक्ष प्रस्तुत नही किया जा सका। प्रखंड विकास पदाधिकारी, सुलतानगंज से उक्त राशि रू0 8986.00 के व्यय से सम्बन्धित अभिश्रव अथवा उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त कर एवं जाँच के प्रतिफल से वित्त (अंकेक्षण) विभाग को अवगत कराया जाय तब तक के लिए रू0 8986.00 के व्यय को आपत्ति अन्तर्गत रखा जाता है।

(10) रू0 2085.00 मूल्य के पुस्तक क्रय का औचित्य एवं उनकी भंडार स्थिति अस्पष्ट – व्यय आपत्ति अन्तर्गत :–

काडा मुख्यालय के वर्ष 99–2000 से सम्बन्धित अभिश्रवों की जाँच में पाया गया कि गौरव पब्लिकेशन भंवर पोखर पटना से उनके बिल सं0 190/13.5.99 के द्वारा कुल रू0

2085.00 के पुस्तक का क्रय कर अभिश्रव सं0 79/ 99.2000 द्वारा दिनांक 11.6.99 को भुगतान किया गया था। क्रीत पुस्तकों का विवरण निम्नांकित है–

1.	रिजेमेशन एण्ड सेनियल ट्रांसफोर मेशन एमंग एस सी एण्ड एस टी –	300.00
2.	मूवमेंट डेवलपमेंट –	95.00
3.	इनेवलिंग इन भायरनमेंट फार ज्वायंर फार्म मूवमेंट –	470.00
4.	एलीकल्चर एण्ड फ्लड –	255.00
5.	अपठनीय –	300.00
6.	हिस्ट्री ऑफ बिहार –	350.00
7.	आर्याज इन साउथ इंडिया –	315.00
	योग –	**2085.00**

उपरोक्त पुस्तकों के क्रय से सम्बन्धित जो संचिकाएँ अंकेक्षण के समक्ष प्रस्तुत किये गये, उससे यह पता नही चल पाया कि काडा के किन उदेद्श्यों की पूर्ति हेतु पुस्तकों की खरीद की गयी।

इसके अलावे उपरोक्त पुस्तकों की भंडार प्रविष्टि भी अंकेक्षण को नही दिखाया गया। काडा के कर्मचारी एवं पदाधिकारी यह बता पाने में असमर्थ रहे कि पुस्तके किनके पास है।

अतः उपरोक्त पुस्तकों की भंडार प्रविष्टि होने तक रू0 2085.00 के व्यय को आपत्ति अन्तर्गत रखा जाता है एवं प्रतिफल से वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार, पटना को सूचित किया जाय।

(11) रू0 17,499.75 पै0 सरकार को वापस करने को संबंध में :–

बडुआ परियोजना प्रमंडल तारपुर के सामान्य रोकड़ पुस्त के दि0 1.4.98 एवं 31.3.05 के संवरण शेष की विवरणी की जाँच में पाया गया कि रू0 17,499.75 पै0 बैंकर्स चेक के रूप में लम्बी अवधि से पड़ा हुआ है–

1.	बैंकर्स चेक सं0 – बी 2/39	823491/18.9.79	– 14,000.00
2.	बैंकर्स चेक सं0 – ओडी /5	117595/7.1.81	– 3499.75
			17,499.75

जाँच क्रम में विदित हुआ कि उक्त राशि मिट्टी एवं जल प्रबन्धन से सम्बन्धित बिहार सरकार द्वारा संचालित पायलट प्रोजेक्ट का था। सरकार द्वारा इस योजना को बहुत पहले बंद कर दिया गया था। काडा कार्यालय के राशि की आवश्यकता न होने के कारण राशि बैंकर्स चेक की शक्ल में पड़ी रह गयी और स्थिति अब भी यथावत थी। इस सम्बन्ध में आपत्ति के बावजूद अंकेक्षण समाप्ति तिथि तक बैंकर्स चेक को कैश नही कराया जा सका। अंकेक्षण का सुझाव है कि उक्त राशि रू0 17,499.75 पै0 को बैंक से कैश करा कर सरकार को वापस कर दिया जाय। एवं इसकी सूचना वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार ,पटना को भी दी जाय।

भाग –2

(12) अंकेक्षण के द्वष्टांत पर रू0 12,002.00 की वसूली :–

(क) रू0 8702.00 का दो बार भुगतान दिखाया जाना :–

चांदन परियोजना प्रमंडल, बांका के वर्ष 2000–01 के वेतन भुगतान पंजी की जाँच में पाया गया था कि विपत्र सं0 18/2000–01 श्री कुशेश्वर कुमार, कनीय अभियंता के माह मई 2000 के वेतन रू0 8702.00 का भुगतान दि0 26.6.2000 को रोकड़ पंजी के पृष्ठ–9 पर पुनः रोकड़ पंजी के पृष्ठ– 14 पर भी दिखाया गया था।

तत्कालीन रोकड़ पाल विजेन्द्र नाथ घोष की मृत्यु हो चुकी थी, परंतु उनके परिजनों द्वारा सूचना पाकर रू0 8.702.00 जमा कर दिया गया। जमा राशि का सत्यापन सम्बनिधत अभिलेखों से कर किया गया।

(ख) रू0 700.00 सी. पी. एफ. खाते में अधिक जमा :–

चांदन परियोजन प्रमंडल, बांका के वर्ष 99–2000 से सम्बन्धित सी. पी. एफ. जमा अभिश्रवों की जाँच में पाया गया था कि अभिश्रव सं0 60/99–2000 द्वारा क्रमांक–2 पर श्री अर्जुन सिन्हा, नि. व. क. के नाम रू0 4992.00 सी. पी. एफ. खाते में जमा किया गया था। यह राशि माह फरवरी '99 से मई ' 99 की अवधि में अंशदान, नियोक्ता अंशदान एवं ऋण वसूली से सम्बन्धित थी। सी0 पी0 एफ पंजी की जाँच में पाया गया कि उक्त अवधि में सी0 पी0 एफ0 में रू0 4292=00 की कटौती ही हुई थी। इस प्रकार रू0 700.00 अधिक जमा हो गया था।

श्री अर्जुन सिन्हा द्वारा रू0 700.00 की वसूली करा दी गयी। इसका सत्यापन सी. पी. एफ. पंजी एवं अन्यान्य अभिलेखों से कर किया गया।

(ग) रू0 1000.00 असमायोजित अग्रिम की वसूली :–

चंदन परियोजन प्रमंडल, बांका के वर्ष 98–99 से 04–05 की अवधि में कार्य पर दिये गये अग्रिम की जाँच में पाया गया कि दि0 1.4.98 को मु0 शहाबुद्दीन, सहायक अभियंता (जैन के नाम पर रू0 8445=10पै0 का अग्रिम था। मु0 शहाबुद्दीन ने प्रभार में श्री कृष्ण कुमार सिंह,कृषि पर्यवेक्षक को रू0 8445.10 पै0 दे दिया। श्री सिंह उक्त राशि का समायोजन कराये बिना काडा से स्थानान्तरित होकर अपने पैतृक विभाग में चले गये। रू0 8445.10 असमायोजित रह गया।

श्री सिंह द्वारा रू0 100.00 नगद जमा कर राशि का समायोजन किया गया। शेष राशि लम्बित रही। जमा राशि का सत्यापन सम्बन्धित अभिलेखों से कर लिया गया।

(घ) रू0 600.00 योग एवं संतुलन में मूल के कारण संवरण शेष में कमी :–

लोअर किऊल परियोजना प्रमंडल, लखीसराय के वर्ष 03–04 से सम्बन्धित सामान्य रोकड़ पुस्त के योग एवं संतुलन की जाँच क्रम में पाया गया था कि दि0 26.4.03 का संवरण शेष रू0 7,27,812.37 पै0 था। दि0 27.4.03 से दि0 4.5.03 तक कोई लेन देन नही किया गया था। दिनांक 5.5.03 को प्रांरभण शेष के रूप में रू0 7,27,212.37 पै0 अंकित पाया गया इस प्रकार रू0 600.00 की संवरण शेष में कमी हो गयी थी।

आपत्ति के अनुपालन में रू0 600.00 सम्बन्धित व्यक्ति द्वारा वापस कर दिया गया। जमा राशि का सत्यापन रोकड़ पुस्त एवं अन्यान्य अभिलेखों से कर लिया गया।

(च) रू0 1000.00 असमायोजित अस्थायी अग्रिम की वसूली :–

लोअर किऊल परियोजना प्रमंडल, लखीसराय के सामान्य रोकड़ पुस्त के दि0 1.4.98 के प्रारंभण शेष एवं दि0 31.3.05 के संवरण शेष के विस्तृत विवरण की जाँच में पाया गया था कि में राम ऑटो इन्जिनियरिंग वर्क्स मुंगेर के नाम रू0 1000.00 का अस्थायी अग्रिम के रूप में दिखाया जा रहा था। यह अग्रिम अंकेक्षित अवधि के पूर्व का था एवं किस कार्य के लिए दिया गया ,पता नही चल पाया।

आपत्ति के अनुपालन में सम्बन्धित संस्थान/व्यक्ति से रू0 1000.00 की वसूली कर जमा करा लिया गया। जमा राशि का सत्यापन सम्बन्धित अभिलेखों से कर लिया गया।

इस प्रकार अंकेक्षण के द्वष्टांत पर –

(क) 8.702.00
(ख) 700.00
(ग) 1000.00
(घ) 600.00
(च) 1000.00

कुल रू0 12,002.00 की वसूली हुई।

(13) सामान्य अभ्युक्तियाँ :–

(i) रोकड़ पुस्त –

रोकड़ पुस्त का संधारण एकल लेखा प्रणाली में किया गया था। किन्तु उसके संधारण में निम्न प्रकार बिहार कोषागार संहिता भाग–1 के नियम 86 की अवहेलना की गयी थी –
(क) रोकड़ पुस्त टी. सी. फार्म 6 में संधारित नही था।

(ख) सहायक रोकड़ पुस्तों पर प्रतिदिन का प्रारंभण रोकड़ एवं संवरण रोकड़ अंकित नही किया गया था।

(ग) दोनो सहायक रोकड़ पुस्तों के संवरण रोकड़ की राशियों का योग सामान्य रोकड़ पुस्त के संवरण रोकड़ की राशि के समतुल्य होनी चाहिए। किन्तु चुँकि ,सहायक रोकड़ पुस्तों पर प्रारंभण शेष एवं अन्तशेष अंकित नही था अतएव सामान्य रोकड़ पुस्त पर संवरण रोकड़ के विस्तार के रूप में दोनो सहायक रोकड़ पुस्तों क संवरण रोकड़ की राशि को अंकित नही किया गया था।
(घ) सहायक रोकड़ पुस्तो पर आय एवं व्यय पक्ष में अनावश्यक ऐसी राशि का प्रविष्टि की गयी थी जिसका रोकड़ पुस्त के आय एवं व्यय से कोई सम्बन्ध नही था। उनका संबंध केवल सहायक रोकड़ पुस्त के संवरण रोकड़ के मदों से था।

<u>(ii) बैंक खाते –</u>

(क) बैंक खाते से सम्बन्धित चेक पंजी अलग से संधारित कर उस पर प्रतिदिन का बैलेंश अंकित नही किया गया था। अतः बैंक पासबुक से उसका सम्बन्ध नही बैढता था।

(ख) प्रशासन एवं कार्य मद के लिए अलग– अलग बैंक खाता संधारित नही था।

(ग) बैंक सूद की राशि की प्रविष्टि चेक पंजी पर नही था। सभी बैंक सूद की राशियों को रोकड़ पुस्त में भी नही लाया गया था।

उपरोक्त तथ्यो के आलोक में नियमानुकूल लेखा पुस्तों के संधारण हेतु निम्न सुझाव दिया जाता है–

(क) रोकड़ पुस्त टी. सी. फार्म –6 के अनुरूप संधारित किए जाय।

(ख) सहायक रोकड़ पुस्तों पर प्रतिदिन योग के साथ– साथ प्रांरभण शेष एवं अंतशेष भी अंकित किया जाय एवं सामान्य रोकड़ पुस्त पर भी उनके संवरण रोकड़ को अंकित कर सामान्य रोकड़ पुस्त के अंत शेष के विस्तार के रूप में दिखाया जाय।

(ग) सहायक रोकड़ पुस्तों पर आय एवं व्यय पक्ष में केवल उन्ही राशियों को अंकित किया जाय जिनसे रोकड़ पुस्त का बैलेंश प्रभावित हो। जिन राशियों से आय एवं व्यय पक्ष में वृद्धि या कमी न हो, उनकी प्रविष्टि यदि आवश्यक हो तो सामान्य रोकड़ पुस्त का विस्तार अंकित करने के बाद रोकड़ पुस्त के पृष्ठ के नीचे के शेष बचे भाग पर उन्हे अंकित किया जाय।

(घ) प्रशासन एवं कार्यमद के लिए अलग–अलग बैंक खाता एवं चेक पंजी संधारित किया जाय। चेक पंजी पर प्रतिदिन का बैंलेश के समतुल्य हो। प्राप्त सूद की राशि को भी चेक पंजी पर अंकित किया जाय एवं समय–समय पर अद्यतन् कराये गए बैंक खाते से चेक पंजी के बैंलेश का समाधान किया जाय।

(च) अद्यतन् कराये गए बैंक खाते पर प्रविष्ट सूद की राशि को रोकड़ पुस्त के आय पक्ष में लायी जाय।

उपरोक्त निदेशों का अनुपालन कराने हेतु विभागीय उच्चाधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है।

<u>(iii) संवरण शेष का भौतिक सत्यापन :–</u>

बिहार कोषागार संहिता भाग–1 के नियम 86(4) के अनुसार प्रत्येक माह के अन्त में संवरण शेष का भौतिक सत्यापन किया जाना चाहिए था, परंतु अंकेक्षित अवधि में एक बार भी व्ययन पदाधिकारी द्वारा रोकड़ का भौतिक सत्यापन नही किया पाया गया।

<u>(iv) भंडार पुस्त :–</u>

कार्यालय के स्थायी एवं अस्थायी सामानों का अलग–अलग भंडार पुस्त संधारित किया जाय। बिहार वित्तीय नियमावली भाग–1 के नियम –143 एवं 145 के अनुसार कार्यालय के स्थायी सामग्रियों का भौतिक सत्यापन प्रतिवर्ष किया जाय।

(v) निरीक्षण प्रतिवेदन :–

अंकेक्षण के समक्ष कोई भी निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत नही किया जा सका। बताया गया कि अंकेक्षित अवधि वर्ष 98–99 से 04–05 में एक बार भी वरीय पदाधिकारी द्वारा कार्यालय का निरीक्षण नही किया गया है।

लेखा नियंत्रक
वित्त(अंकेक्षण)विभाग,बिहार पटना

मिलान एवं शुद्धिकर्त्ता का हस्ताक्षार

(1)

(2)

परिशिष्ट ''क'' कंडिका–1 ''ट'' से सम्बन्धित

अंकेक्षण के समक्ष प्रस्तुत एवं अप्रस्तुत अभिलेखों की सूचि :–

(क) प्रस्तुत अभिलेख – वर्ष 98–99 से 04–05

(1) के. बी. सी. काडा मुख्यालय, भागलपुर :–

1. पी. एल. लेखा पंजी
2. सहायक रोकड़ पुस्त – I
3. सहायक रोकड़ पुस्त – II
4. सामानय रोकड़ पुस्त
5. नाजिर रसीद
6. आवंटन से सम्बन्धित पत्रादि संचिका
7. आकस्मिकताभिश्रव रक्षी संचिका
8. विपत्र पंजी
9. वेतन भुगतान पंजी
10. सी. पी. एफ. पंजी
11. सी. पी. एफ. जमा से सम्बन्धित बैंक पासबुक
12. जीप सं0 बी. आर. जे 4102 का लॉग बुक
13. जीप सं0 बी. आर. जे 4103 का लॉग बुक
14. चेक बुक अधकट्टी
15. लेखन सामग्री भंडार पंजी
16. स्थायी सामानों की भंडार पंजी
17. पैतिस कर्मचारियो की सेवा पुस्तिकाएँ
18. अस्थायी अग्रिम पंजी

(2) भूगर्भ जल विकास प्रमंडल, रीग इकाई, भागलपुर :–

1. रोकड़ पुस्त प्रशासन
2. रोकड़ पुस्त कार्य
3. वेतन भुगतान पंजी
4. चेक बैंकर्स चेक, ड्राफ्ट पंजी
5. सी. पी. एफ. पंजी
6. चेक बुक अधकट्टी
7. आकस्मिकताभिश्रवों की रक्षी संचिका
8. कार्य से संबंधित विपत्रों,अभिश्रवों की रक्षी– संचिका
9. सी. पी. एफ. जमा बैंक पासबुक
10. राजपत्रित अधिकारी वेतन विपत्र पंजी
11. लेखन सामग्री भंडार पंजी
12. सी. पी. एफ. जमा बैंक पासबुक
13. सेवा पुस्तिकाएँ

(3) चांदन परियोजना प्रमंडल, बांका :–

1. रोकड़ पुस्त (प्रशसन)
2. ड्राफ्ट, चेक प्राप्ति पंजी
3. वेतन भुगतान पंजी
4. सी. पी. एफ कटौती, पंजी
5. आकस्मिकताभिश्रवों की रक्षी संचिका
6. कार्य से सम्बन्धित विपत्रों,अभिश्रवों की रक्षी संचिका
7. सी. पी. एफ. जमा बैंक पासबुक
8. भंडार पंजी
9. सेवा पुस्तिकाएँ
10. चेक बुक अधकट्टी
11. कार्य रोकड़ पुस्त

(4) बडुआ परियोजना प्रमंडल, तारापुर :–

1. सामान्य रोकड़ पुस्त
2. सहायक रोकड़ पुस्त (स्थापना)
3. सहायक रोकड़ पुस्त (कार्य)
4. सहायक रोकड़ पुस्त (कृषि)
5. वेतन भुगतान पंजी
6. आकस्मिकताभिश्रवों की रक्षी संचिका
7. कार्य से सम्बन्धित विपत्रों अभिश्रवों की रक्षी संचिका
8. सी. पी. एफ कटौती जमा पंजी
9. भंडार पंजी (लेखन सामग्री)
10. बैंक ड्राफ्ट चेक प्राप्ति पंजी
11. आवंटन से सम्बन्धित संचिका
12. सी. पी. एफ. जमा अभिश्रव संचिका
13. भंडार पंजी (स्थायी सामान)
14. सहायक रोकड़ पुस्त (बायोगैस)
15. सहायक रोकड़ पुस्त (धोर बैहियार)
16. सहायक रोकड़ पुस्त (बाराबंदी)
17. सहायक रोकड़ पुस्त (पायलट प्रोजेक्ट)
18. जी. पी. एफ. जमा पंजी
19. जी. आई. एस. जमा पजी
20. टी. एण्ड पी. पंजी
21. बी. आर. जे. 5550 लॉग बुक (जीप)
22. बी. आर. जे. 5083 लॉग बुक (जीप)

(5) लोअर किऊल परियोजना प्रमंडल ,लखीसराय :–

1. सामान्य रोकड़ पुस्त
2. सहायक रोकड़ पुस्त (स्थापना)
3. सहायक रोकड़ पुस्त (कार्य)
4. चेक,ड्राफ्ट प्राप्ति पंजी
5. आवंटन प्राप्ति से सम्बन्धित संचिका
6. वेतन भुगतान पंजी
7. आकस्मिकताभिश्रवों की रक्षी संचिका
8. कार्य से सम्बन्धित विपत्रों अभिश्रवों की रक्षी संचिका
9. सी. पी. एफ. कटौती पंजी
10. चेक बुक अधकट्टी
11. भंडार पंजी
12. बी.आर. जे. 5438 लॉग बुक (जीप)

(ख) अप्रस्तुत अभिलेख :–

1. के. बी. सी. काडा,मुख्यालय भागलपुर
2. बी. आर. 10 सी – 0011 से सम्बन्धित लॉग बुक